सलूम्बर

01-12-2021

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प शिविर सराडी मे पेश हुई। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित/वादग्रस्त आराजी विपक्षी की खातेदारी भूमि है तथा विपक्षी वर्तमान मे इस आराजी मे कृषि कार्य कर रहे है तथा वर्तमान उक्त भूमि पर कोई भी अवैध भण्डार नही है, अतः धारा-177 LR Act के प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

सरकार जरिये तहसीलदार, सलुम्बर बनाम रतनकुंवर / नाहरसिंह
प्र.स. - 22/2019 धारा - 177 LRact.

उपरोक्त प्रार्थनापत्र मे हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट ली गई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 5394/1242 रकबा 0.18 है० पर वर्तमान मे चने की फसल बोयी है तथा वादग्रस्त आराजी पर कही भी बजरी का स्टॉक नही पाया गया है।

अत: प्रार्थनापत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात व पटवारी रिपोर्ट तथा विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी नं. 5394/1242 रकबा 0.18 हैक्टेयर पर चने की फसल है तथा विपक्षी उसमे काश्त कर रहा है। अत: प्रार्थनापत्र साबित नही हो पाने से प्रार्थनापत्र धारा - 177 LRAct खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर